



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 आश्विन 1938 (श0)

(सं0 पटना 799) पटना, बुधवार, 28 सितम्बर 2016

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचनाएं

28 सितम्बर 2016

एस0ओ0 246, दिनांक 28 सितम्बर 2016—बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27/2005) की धारा 14 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल उक्त अधिनियम के साथ उपाबद्ध अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

संशोधन

1. बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के साथ उपाबद्ध अनुसूची-III के भाग-I में क्रमांक 152 एवं उसकी अनुसारी प्रविष्टियों को विलोपित किया जायेगा।

2. बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के साथ उपाबद्ध अनुसूची-III के भाग-I का क्रमांक 89 एवं उसकी अनुसारी प्रविष्टियाँ निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेंगी:

“89. सभी प्रकार के पाईप जिसमें तन्य पाईप और पी०भी०सी० पाईप और उनके साज-सामान हैं।”

3. बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के साथ उपाबद्ध अनुसूची IIIA के क्रमांक 1 के पश्चात, निम्नलिखित नयी क्रम संख्या-2 एवं क्रम संख्या-3 एवं उसकी अनुसारी प्रविष्टियाँ जोड़ी जायेंगी:

“2. (i) लम्बाई अथवा पीस या सेट में बिकने वाले टेक्सटाईल फेब्रिक, जो पूर्णतः या आंशिक रूप से कपास, रेयन, फ्लैक्स, कृत्रिम सिल्क या ऊन अथवा अन्य किसी प्राकृतिक अथवा कृत्रिम तंतु से उत्पादित या निर्मित हों यदि इसका विक्रय मूल्य पाँच सौ रुपये प्रति मीटर से अधिक हो।

(ii) पूर्णतः या आंशिक रूप से किसी प्राकृतिक अथवा कृत्रिम तंतु से उत्पादित या निर्मित साड़ी यदि इसका विक्रय मूल्य 2000 रुपये प्रति साड़ी से अधिक हो।

3. जी०आई०पाईप, सी०आई०पाईप और उनके साज-सामान।”

4. यह अधिसूचना इसके निर्गमन की तिथि के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[सं० बिक्री-कर/संशोधन-07/2016-3699]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

28 सितम्बर 2016

एस0ओ0 247, एस0ओ0 246, दिनांक 28 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं० बिक्री-कर/संशोधन-07/2016-3700)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

*The 28th September 2016*

S.O. 246 dated the 28th September 2016—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 14 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 27 of 2005) the Governor of Bihar is pleased to make the following amendments in Schedule appended to the said Act, with immediate effect :-

### **Amendments**

1. Serial number 152 of Part I of Schedule III appended to the Bihar Value Added Tax Act, 2005 and its corresponding entries shall be deleted.

2. Serial number 89 of Part I of Schedule III appended to the Bihar Value Added Tax Act, 2005 shall be substituted by the following:

“89. Pipes of all varieties including ductile pipes and PVC pipes and fittings thereof.”

3. After serial number 1 of Schedule III A appended to the Bihar Value Added Tax Act, 2005, the following new serial number 2 and serial number 3 and their entries shall be added:-

"2. (i) Textile fabrics sold in length, piece or set, made wholly or partly of cotton, rayon, flax, artificial silk or wool or any other natural or artificial fibres if its sale price is more than five hundred rupees per meter.

(ii) Sarees made wholly or partly of any natural or artificial fibres if its sale price is more than two thousand rupees per piece.

3. G.I.pipes,C.I.pipes and fittings thereof.”

4. This notification shall come into force with effect from the date of its issuance.

[F.No. Bikri-kar/Sansodhan-07/2016-3699]

By order of the Governor of Bihar,

SUJATA CHATURVEDI,

*Commissioner-cum-principal Secretary.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 799-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>